केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029

याचिका सं.100/टीएल/2024 **दिनांक: 10.7.2024**

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

धुले पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, विंडसर, प्रथम तल, यूनिट नंबर 101, कलिना, सांताक्रूज, ईस्ट मुंबई, महाराष्ट्र–400098 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण (बीओओटी) आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "धुले 2 जीडब्ल्यूआरईज़ेड से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण योजना" हेतु पारेषण प्रणाली कार्यान्वित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, 15 और 79(1)(ड) के अधीन आवेदन किया गया है:

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से माह में अनुसूचित सीओडी
1.	2x125 एमवीएआर (420 केवी) बस रिएक्टरों के साथ धुले के पास 4x500 एमवीए, 400/220 केवी पूलिंग स्टेशन की स्थापना • 400/220 केवी, 500 एमवीए आईसीटी – 4 नंबर • 400 केवी आईसीटी बे – 4 नंबर • 220 केवी आईसीटी बे – 4 नंबर (220 केवी बस सेक्शन 1 पर 2 नंबर और 220 केवी बस सेक्शन 2 पर 2 नंबर) • 400 केवी लाइन बे – 2 नंबर • 125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर – 2 नंबर • बस रिएक्टर बे: 2 नंबर • 220 केवी बस कप्लर बे – 2 नंबर • ट्रांसफर बस कप्लर (टीबीसी) बे – 2 नंबर • 220 केवी लाइन बे – 7 नंबर (आरई अंतरसंयोजन के लिए जिसमें से 4 नंबर 220 केवी बस सेक्शन 1 पर होगा और 3 नंबर 220 केवी बस सेक्शन 2 पर होगा) • 220 केवी बस सेक्शनलाइजर – 1 सेट निम्नलिखित के लिए भावी प्रावधान: ➢ स्विचेबल लाइन रिएक्टर के साथ 400 केवी लाइन बे–8 नंबर ➢ बे के साथ 400/220 केवी आईसीटी – 6 नंबर ➢ बे के साथ 400 केवी बस रिएक्टर: 2 नंबर ➢ 400 केवी बस सेक्शनलाइजर बे: 1 – सेट ➢ 220 केवी लाइन बे: 9 नंबर ➢ 220 केवी सेक्शनलाइजर बे: 1 सेट 220 केवी बीसी और टीबीसी: 1 नंबर	24 मास
2.	धुले पीएस – धुले (बीडीटीसीएल) 400 केवी डी/सी लाइन (क्वाड एसीएसआर/एएएसी/एएल59 मूज समतुल्य)	
3.	धुले पीएस – धुले (बीडीटीसीएल) 400 केवी डी/सी लाइन के लिए धुले (बीडीटीसीएल) पर 2 नंबर 400 केवी लाइन बे–2 नंबर	

नोट: बीडीटीसीएल, धुले पीएस – धुले (बीडीटीसीएल) 400 केवी डी/सी लाइन के समापन के लिए 400 केवी लाइन बे के 2 नंबर हेतु स्थान प्रदान करेगा।

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 6.3.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 100/टीएल/2024 में दिनांक 9.7.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
4. धुले पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **https://www.indigrid.co.in/documents-manager** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 23.7.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आयोग द्वारा दिनांक 25.7.2024 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–

(हरप्रीत सिंह प्रुथी)

सचिव